<u>प्रेस नोट दिनांक 27.08.2020</u>
<u>थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली</u>

थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली पुलिस द्वारा एक टाटा 407 नम्बर UP17T/2711 **जिसमे 110 पेटी इम्पीरियल ब्लू हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7,92000/- लाख रूपये है, व दो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद बरेली में चलाये जा रहे अवैध शराब / अफीम / गांजा / चरस / स्मैक की रोकथाम व अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संसार सिंह व क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के निर्देशन में आज दिनांक 27.08.2020 को SHO चन्द्रकिरण ,मय उ0नि0 संजय सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली मय हमराह पुलिस बल व आबकारी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर टोल टैक्स से आगे बरेली की तरह रहपुरा पुल के पास नेशनल हाईवे थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली पर एक टाटा 407 नम्बर UP17T/2711 को संदिग्धता के आधार पर रोककर चैक किया गया तो दो व्यक्ति को टाटा 407 से 1.जयभगवान पुत्र सत्ते उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम खवेडा थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा 2. गौरव पुत्र चरन सिंह उम्र 33 वर्ष नि0 मकान नं0 198 कश्यप कालोनी कोट रोड थाना कोतवाली जिला बागपत को गिरफ्तार कर टाटा 407 को चैक किया गया तो टाटा 407 से 110 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद हुयी। उक्त शराब की पेटियों को टाटा 407 में रखकर उपर से मधुमक्खी की पेटियां रखकर शराब को धोखाधडी करके बिहार व अन्य प्रान्तों में बिक्री हेतु अवैध तस्करी की जा रही थी। आबकारी अधिनियम के तहत **मु0अ0सं0 302/20 धारा 420 भादवि व 63/72 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. जयभगवान पुत्र सत्ते उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम खवेडा थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा।
2. गौरव पुत्र चरन सिंह उम्र 33 वर्ष नि0 मकान नं0 198 कश्यप कालोनी कोट रोड थाना कोतवाली जिला बागपत।

<u>बरामदगीः</u>- एक टाटा 407 नम्बर UP 17 T 2711 **जिसमे 110 पेटी नाम इम्पिरियल ब्लू हरियाणा मार्का शराब।**

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. SHO चन्द्रकिरण थाना फतेहगंज पं0, बरेली
2. उ0नि0 संजय सिंह
3. आबकारी निरीक्षक शैलेश कुमार शुक्ला मीरगंज
4. का0 2130 तरूण यादव
5. का0 2624 सतेन्द्र कुमार

सोशल मीडिया / मीडिया सेल
जनपद बरेली (उ0प्र0)